



आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई)* के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इन चरणों का पालन करें



1

सबसे पहले
आरई के पास अपनी
शिकायत दर्ज कराएं

2

पावती/संदर्भ
संख्या प्राप्त करें

3

यदि आरई द्वारा 30 दिनों में इसका
कोई निवारण नहीं किया जाता है या
आप निवारण से संतुष्ट नहीं हैं,
तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल
(cms.rbi.org.in) पर या सीआरपीसी** को
डाक द्वारा भेजकर आरबीआई लोकपाल के
पास अपनी शिकायत दर्ज
करवा सकते हैं



आरबीआई लोकपाल से सीधे शिकायत दर्ज करने पर
वह अस्वीकृत हो सकती है.



अधिक जानकारी के लिए,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/ios> पर विजिट करें
कीडबैक देने के लिए,
rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

* बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली सहभागी, डी-पेड इन्फ्रस्ट्रक्चर, क्रेडिट लूना कंपनियां

** सीआरपीसी: भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017.